

विवरण

खेसरा सं

अभिलेख सुपरस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जोहन खडिया पिता - मारील खडिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पुत्र पीटर केके.एटा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पालेमुण्डा खाता सं. 101/18 151, 159, 236 रकबा - 5.06 वर्ग X का लुगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान पीटर केके.एटा ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगाम रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम पालेमुण्डा खाता नं 101/18 प्लॉट नं 151, 159, 236 सर्वे खतियान में किस्म पोकरी, मठ जंगल दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जोहन खडिया पिता मारील खडिया

पिता - पालेमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>पालेमुण्डा</u>	<u>63</u>	<u>101/18</u>	<u>151, 159, 236</u>	<u>5.06</u> रं०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
बोकारो

अंचल अधिकारी,
बोकारो